2010/00085 (36)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बसईनबाब)

पीठासीन अधिकारी --विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या--(67/2005) 96/2016

1--रामेश्वर उर्फ हव्वो 2--चरनसिंह 3--राजेन्द्र 4--कमलसिंह पुत्रगण मवासी जाति जाटव निवासी ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

----------वादीगण

बनाम

1--पातीराम पुत्रश्री तिनूकी 2--रामदुलारी पत्नी बृजलाल 3--हरदेवी पुत्री तिनूकी 4--पूरन 5--विजयसिंह 6--राजन 7--सुरेश पिसरान मुकन्दी 8--सामन्ती वेवा मुकन्दी 9--विजेन्द्रसिंह पुत्रश्री रामदयाल 10--सुनीता पत्नी स्व0 पप्पू 11--बाबूलाल पुत्रश्री मवासी 12--रम्पी वेवा मवासी जाति जाटव निवासी ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

13--राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

दावा वास्ते स्वत्व घोषणा,बटवारा
काश्त एंव स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति--
1--श्री चरनसिंह वगैरा -- वादीगण
2--सरुश वगैरा -- प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 6.7.2017

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण वास्ते स्वत्व घोषणा, बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा 1927 एवं 1898 वाके ग्राम मालौनी पंवार तहसील सैपऊ का प्रस्तुत किया गया । पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 30.6.2009 को दावा वादीगण आंशिक रूप से प्रारम्भिक डिक्री किया गया । विवादित आराजी खसरा नम्बर 1927 वाके ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ के वावत् दावा वादीगण खारिज किया गया तथा खसरा नम्बर 1898 वाके ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार सैपऊ को पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

नायव तहसीलदार बसईनबाअ द्वारा कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारों द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की । तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक दर्ज रिकार्ड पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1–रामदुलारी पत्नी बृजलाल जाति जाटव निवासी ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर। राहिन पी एन बी शाखा बसईनबाब

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1898/2	0.10
कुल	01	0.10

2–रम्पी पत्नी मवासी, चरनसिंह, राजेंन्द्र व कमलसिंह हिस्सा 4/7, बाबूलाल पुत्रश्री मवासी हिस्सा 2/7 जाति जाटव निवासी ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1898/3	0.10
कुल	01	0.10

3–सामन्ती पत्नी मुकन्दी, पूरन, विजयसिंह, राजन, सुरेश पिसरान मुकन्दी, बेबी पुत्री मुकन्दी हिस्सा बराबर जाति जाटव निवासी ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर। सुरेश हिस्सा राहिन पी एन बी शाखा बसईनबाब

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1898/1	0.10
कुल	01	0.10

4– विजेन्द्र पुत्रश्री रामदयाल व सुनीता पत्नी पप्पू हिस्सा बराबर जाति जाटव निवारी ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर। राहिन पी एन बी शाखा बसईनबाब

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1898/4	0.11
कुल	01	0.11

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैंपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 6.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उप खण्डाधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....